दिनाक 01.10.2020
प्रेस विज्ञप्ति 01/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो पर किये गये आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्टों/मैसेज/वीडियो आदि के सम्बन्ध में प्रदेश में (दिनांक 01.09.2020 से 30–09–2020 तक) की गयी कार्यवाही

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो ट्वीटर, व्हाट्एप्प, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पर किये गये आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्टों/मैसेज/ वीडियो आदि के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के क्रम में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो पर किये गये आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्टों/ मैसेज/वीडियो आदि के सम्बन्ध में माह सितम्बर (दिनांक 01.09.2020 से 30.09. 2020 तक) में निम्न कार्यवाही की गयी :–

- आपत्तिजनक पोस्टों को रिपोर्ट कर हटवाया गया : – **13**
- अफवाह/भ्रामक/आपत्तिजनक/ साम्प्रदायिक प्रभावित करने वाली पोस्टों पर पंजीकृत अभियोगों की संख्या : – **47**
- अन्य कारणों से पंजीकृत अभियोगों की संख्या : – **44**
- इस प्रकार आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्टों/मैसेज/वीडियो आदि के सम्बन्ध में कुल पंजीकृत अभियोगों की संख्या : – **91**

जनपद मथुरा/थाना नौहझील

- **03 लुटेरे गिरफ्तार, लूट के 01 लाख 10 हजार रू0 नगद, 60 हजार रू0 कीमत के जेवरात आदि बरामद**

दिनांक 01.10.2020 को थाना नौहझील व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भूरे का नहर पुल के पास से 03 शातिर अपराधी 1—वसीम, 2—गोविन्द, 3—कुलदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 01 लाख 10 हजार रू0 नगद, 60 हजार रू0 कीमत के 924 ग्राम चॉदी के जेवरात व 03 अवैध तमंचा मय जीवित खोखा कारतूस बरामद हुये।

गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद माल मु0अ0सं0 261/2020 धारा 392 भादवि व मु0अ0सं0 542/2020 धारा 392 भादवि से संबंधित है।

इस संबंध में थाना नौहझील पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वसीम नि0 222/196 सुखदेव नगर थाना कोतवाली मथुरा।

2—गोविन्द नि0 सुखदेव नगर थाना कोतवाली मथुरा।

3—कुलदीप नि0 आजाद नगर सौंख रोड थाना कोतवाली मथुरा।

बरामदगी

1— लूट के 01 लाख 10 हजार रू0 नगद, 60 हजार रू0 कीमत के 924 ग्राम चॉदी के जेवरात व 03 अवैध तमंचा मय जीवित खोखा कारतूस बरामद।

जनपद जनपद उन्नाव/थाना कोतवाली

- **अवैध शस्त्रों के साथ 04 अपराधी गिरफ्तार**
- **17 अवैध शस्त्र (02 अवैध पिस्टल, 03 अवैध रायफल , 12 अवैध तमंचे विभिन्न बोर), 44 कारतूस विभिन्न बोर बरामद**

दिनांक 30.09..2020 की रात्रि थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोडवेज वर्कशाप मोड़ से 04 अपराधी 1—अमन,

2—सचिन, 3—अनुराग, 4—विजय कुमार उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध पिस्टल , 03 अवैध रायफल, 12 अवैध तमंचे विभिन्न बोर , 44 कारतूस विभिन्न बोर बरामद हुये।

इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अमन नि0 रमना रिंग रोड दुबग्गा थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
2—सचिन नि0 सारंगहार थाना आसीवन उन्नाव।
3—अनुराग नि0 खटैली थाना माखी उन्नाव।
4—विजय कुमार उर्फ मोनू नि0 ग्राम भिटना थाना आसीवन उन्नाव।

बरामदगी

1— 02 अवैध पिस्टल , 03 रायफल, 12 अवैध तमंचे विभिन्न बोर , 44 कारतूस विभिन्न बोर ।

जनपद चन्दौली/थाना अलीनगर

- **दो अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 55 लाख रूपये कीमत का 02 कुन्तल 72 किलोग्राम अवैध गांजा 01 कंटेनर बरामद**

दिनांक 01.10.2020 को थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिन्धी ताली एनएच—02 के पास से दो अभियुक्तों 1—राजेश कुमार ,2—इलियास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 55 लाख रूपये कीमत का अवैध गांजा, व एक कंटेनर बरामद हुये।

इस संबंध में थाना अलीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजेश कुमार नि0 रजाना कला पिल्लू खेरा जीदं हरियाणा।
2—इलियास नि0 रनियाला पटाकपुर नूह मेवात

बरामदगी

1— लगभग 55 लाख रूपये कीमत का अवैध गांजा, व एक कंटेनर बरामद।

एस0टी0एफ0:साहसिक मुठभेड़ में थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर के मु0अ0सं0 501/2020 में वांछित व रू0 25,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार।

दिनांक 01—10—2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद बुलन्दशहर में एक साहसिक मुठभेड़ के दौरान थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर के मु0अ0सं0 501/2020 में वाँछित व रू0 25 हजार के पुरस्कार घोषित **अपराधी मोनू** को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः

1— मोनू पुत्र सुन्दर पाल निवासी ग्राम मनोहर गढी, थाना औरंगाबाद, जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगीः

1. एक अद्द तमंचा 315 बोर
2. 02 अद्द जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 01 अद्द मोटर साईकिल पैशन नं0—यूपी—13 एडी—9725

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक 01.10.2020, स्थानः—अडौली नहर पुल, थाना कोतवाली देहात, जनपद बुलन्दशहर समयः—00.45 बजें

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से गम्भीर अपराधों में सक्रिय अपराधियों एवं संगठित गिरोह के सक्रिय सदस्यों तथा पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इन अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों द्वारा अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही की जा रही थी। इसी क्रम में श्री कुलदीप नारायण, पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 01.10.2020 को विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि मोनू पुत्र सुन्दर पाल नि0 ग्राम मनोहर गढी, थाना औरंगाबाद, जनपद बुलन्दशहर जिस पर रू0 25,000/— का पुरस्कार घोषित है तथा जो थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर क्षेत्रान्तर्गत संजय प्रधान की हत्या के मामलें में वांछित चल रहा है, आज सिकन्द्राबाद की तरफ से अपने निजी काम से बुलन्दशहर आ रहा हैं। इस सूचना को विकसित करते हुए निरीक्षक सुनील कुमार के नेतृत्व में हे0कां0 रकम सिंह, हे0कां0 प्रीतम भाटी, कान्स0 भूपेन्द्र, कान्स0 आकाशदीप, कान्स0 रोमिश तोमर, कान्स0 विकास धामा, कान्स0 प्रदीप धनकड, कान्स0 विवेक पवॉर, कान्स0 विनय कुमार एंव कान्स0 अंकित श्यौरान एस0टी0एफ0 मेरठ टीम द्वारा स्थानीय थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर पुलिस को साथ लेकर अडौली नहर पुल, बु0शहर पर छुपते छिपाते हुए घेराबन्दी की गयी। इसी दौरान प्राप्त सूचनानुसार एक मोटर साईकिल सिकन्द्राबाद की तरफ से आती दिखायी दी, नजदीक आने व टॉर्च की रोशनी में आने वालें व्यक्ति को देखकर मुखबिर ने बताया कि यह वही अपराधी मोनू हैं, जिसके द्वारा माह जून—2020 में अपने साथियों के साथ मिलकर थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में संजय प्रधान की हत्या की थी। इस पर टीम द्वारा मोटरसाईकिल पर सवार व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया

परन्तु वह नही रूका और भागने लगा, जिसे टीम द्वारा घेर घोटकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए समय लगभग 00.45 बजे रात्रि गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त मोनू ने बताया कि मैंने संजय प्रधान एंव अन्य के साथ बुलन्दशहर में बाईपास पर 19 लाख रूपयें बीघा के हिसाब से प्लाट के लिए जमीन ली थी। मैने 21 लाख रूपयें जमीन मालिक के खाते में जमा कर दिये थे। कुछ दिन के बाद मेरे पैर में चोट लग गयी एंव मेरी बहन की शादी थी, इन कारणों से मैं काफी समय तक घर से बाहर नही जा पाया। इसी दौरान संजय प्रधान ने मुझे बिना बताये बेईमानी की नियत से वह जमीन बेच दी, जिस कारण हमारी कहासुनी होती रहती थी। संजय प्रधान ने अपने बिल्लू जडौली, आकाश व सतेन्द्र आदि के साथ मिलकर अमित जाट के माता व मामा की हत्या कर दी थी, जिस कारण अमित जाट की भी संजय प्रधान से रंजिश चल रही थी। इसी के चलते मैने तथा अमित जाट ने संजय प्रधान से बदला लेने के लिए जयकुमार उर्फ जैका व सोनू उर्फ प्रमोद, अंकित उर्फ विकास एंव रवि प्रधान को अपने साथ शामिल कर माह जून–2020 संजय प्रधान की हत्या कर दी थी। इस हत्या के मामलें में मेरे साथी अमित जाट, जयकुमार उर्फ जैका व सोनू उर्फ प्रमोद पर 50–50 हजार रूपयें का ईनाम घोषित हुआ था, जिनको एस0टी0एफ0, नोएडा द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका हैं तथा मैं छिपता हुआ घूम रहा था कि आज आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर पर मु0अ0सं0 880/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना कोतवाली देहात, बु0शहर द्वारा की जा रही है।

अभियुक्त मोनू का अपराधिक इतिहासः

क्र0सं0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	501/20	147/148/149/302/34/120 बी भादवि	कोत0देहात	बुलन्दशहर
2	880/20	25 आर्म्स एक्ट	कोत0देहात	बुलन्दशहर

<u>एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 04 तस्कर गिरफ्तार, 200 किलोग्राम गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 45 लाख रूपये) बरामद।</u>

दिनांक 01–10–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 04 तस्करों को 200 किलोग्राम गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 45 लाख रूपये) सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः</u>

1– शिवदत्त पुत्र मंगली धुरिया नि0 तिन्दुवारी थाना तिन्दुवारी, जनपद बॉंदा।
2– राजेश पुत्र अमरनाथ नि0 ग्राम अलीगंज थाना चौकी बालू चौराहा जनपद बॉंदा।
3– राम मिलन पुत्र गोरेलाल विश्वकर्मा नि0 ग्राम खायीपार, थाना चौकी खायीपार, जनपद बॉंदा।
4– शमशुद्दीन पुत्र पच्चु शाह नि0 अलीगंज नवाब टैंक जनपद बॉंदा।

गिरफ्तार अभियुक्त से कुल बरामदगीः

1— 200 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) (अनुमानित मूल्य लगभग 45 लाख रूपये)
2— 01 अदद डी0सी0एम ट्रक—यू0पी0—90टी—1592
3— 02 अदद मोबाइल
4— रू0 630/— नगद।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थान—

दिनांक 01—10—2020 जनपद बाँदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत नवाब टैंक के पास।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से बुन्देलखण्ड के विभिन्न जनपदों में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों/तस्करों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित एण्टी डकैती टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक डी0सी0एम0 ट्रक में भारी मात्रा में तस्करों द्वारा अवैध रूप से गॉजा उडीसा के सम्भलपुर से जनपद बाँदा लाया जा रहा हैं। इस सूचना पर विश्वास करते हुए उप0निरी0 विनय सिंह के नेतृत्व में मु0आ0 शमशेर सिंह, आरक्षी भूपेन्द्र सिंह व आरक्षी उमाशंकर यादव की एक टीम गठित कर स्थानीय पुलिस को सूचना से अवगत कराते हुए साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचकर जनपद बाँदा के कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत नवाब टैंक के पास से उपरोक्त 04 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी की गयी।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि यह डी0सी0एम0 शमशुद्दीन की है। यह लोग गांजे की तस्करी का काम काफी दिनों से कर रहे है। वह यह माल उडीसा के सम्भलपुर से निन्टा नाम के आदमी से लेकर आ रहे थे। यह माल वह उड़ीसा से कम दामों में खरीदकर चित्रकूट परिक्षेत्र के जनपदों में ज्यादा दामों में बेचते है, जिसमें इन लोगों को मोटा मुनाफा होता है, जिसे यह डी0सी0एम0 का किराया निकाल कर मुनाफे की रकम को आपस में बांट लेते है। प्रति चक्कर इन लोगों को 50,000/— से एक लाख का मुनाफा प्रति व्यक्ति को हो जाता है, जिसके लिए वह यह कार्य करते रहते हैं। इस बार माल लेकर बेचने के लिए ला रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर, जनपद बाँदा में मु0अ0सं0 807/2020, 808/2020, 809/2020 व 810/2020 धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफःएस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज द्वारा की जा रही मु0अ0सं0—426/2020 धारा—406/419/420/467/468/471 भादवि व 66 D आई0टी0 एक्ट की विवेचना में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी

आज दिनॉक 01.10.2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0लखनऊ की फील्ड इकाई, प्रयागराज को थाना सोरांव में पंजीकृत मु0अ0सं0—426/2020 धारा—406/419/420/467 /468/471 भादवि व 66 D आई0टी0 एक्ट के वांछित अभियुक्त दुर्गेश सिंह एवं संदीप पटेल को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

अभियुक्तों का विवरणः—

1— दुर्गेश सिंह पुत्र तेज बहादुर सिंह, निवासी बझान, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।
2— संदीप पटेल पुत्र ओमकार नाथ पटेल, निवासी ग्राम अतनपुर, थाना बहरिया, जनपद प्रयागराज।

बरामदगीः—

1— चार अदद मोबाइल।
2— एक अदद सी0डी0 की छायाप्रति।
3— एक अदद कार (TUV 300) नम्बर—यू0पी0—जी0यू0—5106।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक

मलाक हरहर तिराहे, थाना क्षेत्र फाफामऊ, जनपद प्रयागराज, दि0 01—10—2020

अपर पुलिस महानिदेशक, कानून—व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ एवं पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के आदेश के क्रम में थाना सोरांव, जनपद प्रयागराज में पंजीकृत मु0अ0सं0—426/2020 धारा—406/419/420/ 467/468/471 भादवि व 66 D आई0टी0 एक्ट की विवेचना श्री नीरज कुमार पाण्डेय, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में विवेचना निरीक्षक श्री के0सी0राय द्वारा की जा रही है। अभियोग से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन की कार्यवाही एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज द्वारा की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में आज दिनाक—01.10.2020 को उ0नि0 श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, श्री धर्मेन्द्र सिंह, मु0आरक्षी संजय कुमार सिंह, आरक्षी अश्वनी कुमार सिंह और अजय यादव की एक टीम थाना सोरांव, प्रयागराज में भ्रमणशील थी कि मुखबिरखास से ज्ञात हुआ कि आज उक्त मुकदमें के वांछित अभियुक्त संदीप पटेल व दुर्गेश सिंह उपरोक्त इस मुकदमें के अन्य अभियुक्तों से सम्पर्क करने तथा उपरोक्त मुकदमें से बचने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रयास किया जा रहा है, जिस हेतु वह प्रयागराज आने वाले हैं। मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना पर विश्वास कर उसके द्वारा बताए गए स्थान मलाक हरहर तिराहे, फाफामऊ पर पहुँचकर न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग कर उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त संदीप पटेल तथा दुर्गेश सिंह उपरोक्त ने बताया कि विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में अवैध रूप से भर्ती कराने वाले गिरोह के सरगना के0एल0 पटेल व मायापति दूबे के लिए हम लोगों ने सुपरटेट—2019 में पैसे लेकर कैण्डिडेट उपलब्ध कराने का काम किया था। सरगना के0एल0 पटेल व मायापति दूबे से बात करके भर्ती परीक्षा पास कराने के एवज में प्रति कैण्डिडेट/अभ्यर्थी 07 लाख रूपये में तय करके कमीशन का हिस्सा अपने पास रखकर पूरा पैसा उन्हें दे देते थे। ऐसे अभ्यर्थी जिनसे पैसा ले लिया जाता था, को इलेक्ट्रानिक ब्लूटूथ डिवाइस के जरिये नकल कराकर परीक्षा पास करा दिया जाता था। प्रतियोगी परीक्षाओं में पैसा लेकर अवैध रूप से भर्ती कराने का काम पिछले 2—3 वर्षों से हम लोगों द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को थाना सोरांव, जनपद प्रयागराज में पंजीकृत मु0अ0सं0—426/2020 धारा—406/419/420/467/468/471 भादवि व 66 D आई0टी0 एक्ट में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज द्वारा की जा रही है।

जनपद पीलीभीत /थाना सुनगढ़ी

- **15—15 हजार रू0 के पुरस्कार घोषित 02 अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 01.10.2020 को थाना सुनगढ़ी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मण्डी समिति के पास से 02 पुरस्कार घोषित अपराधी 1—बब्लू, 2—पंकज कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सुनगढ़ी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 302/2020 धारा 2/3 यू0पी0गैगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15—15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना सुनगढ़ी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बब्लू निवासी नौगवा पकड़िया थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत ।

2—पंकज कुमार निवासी नौगवा पकड़िया थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत ।

जनपद अमरोहा/थाना अमरोहा देहात

- **चोरी की घटना का अनावरण, 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के लाखों के सोने चॉदी के जेवरात आदि बरामद ।**

दिनांक 01.10.2020 को थाना अमरोहा देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जीवन राहू पब्लिक स्कूल के पास से 04 अभियुक्तों 1—बिशाल 2—दानिश ,3—सचिन ,4—रफुद्दीन को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 04 सोने के हार, 09 जोड़ी सोने की कुण्डल, 03 जोड़ी सोने के टप्स , 03 जोड़ी सोने के झुमके, 21 जोड़ी चॉदी के पायल ,60 जोड़ी चॉदी के बिछुये ,सी0सी0टी0वी0डी0बी0आर0, 02 अवैध तमंचे मय कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉक 25/26.08.2020को सर्राफा दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करने की घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0—214/20धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे । गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा उक्त चोरी की घटना को कारित करना स्वीकार किया गया तथा बरामद जेवरात उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस संबंध में थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विशाल निवासी नन्हैडा अल्यारपुर थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।

2—दानिश निवासी नन्हैडा अल्यारपुर थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।

3—सचिन निवासी नन्हैडा अल्यारपुर थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।

4—रफुद्दीन निवासी नन्हैडा अल्यारपुर थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।

बरामदगी

1—04 सोने के हार, 09 जोड़ी सोने की कुण्डल, 03 जोड़ी सोने के टप्स , 03 जोड़ी सोने के झुमके, 21जोड़ी चॉदी के पायल ,60 जोड़ी चॉदी के बिछुये ,सी0सी0टी0वी0डी0बी0आर0, 02 अवैध तमंचे मय कारतूस आदि।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना सदरबाजार

- **05 शराब तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 02 लाख रूपये कीमत की 30 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, बुलेरो पिकप व सेन्ट्रो कार बरामद ।**

दिनांक 01.10.2020 को थाना सदरबाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुवायॉ रोज निगोही वाईपास से शराब तस्कर 1—पवन, 2—पिन्कू, 3—प्रवीण ,4—करन,5—शेखर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 30 पेटी अवैध शराब, बुलेरो पिकप ,सेन्ट्रोकार बरामद हुयी।

इस संबंध में थाना सदरबाजार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पवन निवासी मन्डी थाना इसराना जिला पानीपत ,हरियाणा ।

2—पिंकू निवासी मन्डी थाना इसराना जिला पानीपत ,हरियाणा ।

3—प्रवीण निवासी उबारा खेड़ी थाना चॉदनीबाग जिला पानीपत हरियाण ।

4—करन निवासी उबाराखेड़ी थाना चॉदनीबाग जिला पानीपत ,हरियाणा।

5—शेखर निवासी दीनानाथ कालोनी थाना किला जनपद पानीपत ,हरियाणा। बुरहानपुर म0प्र0।

बरामदगी

1—लगभग 2 लाख कीमत की 30 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, बुलेरो पिकप , सेन्ट्रोकार आदि।

जनपद चन्दौली/थाना कोतवाली चन्दौली

- **तीन वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी के 11 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 30.09.2020 को थाना कोतवाली चन्दौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नेगुरा मोड़ के पास से तीन अभियुक्तों 1—आकाश कुमार उर्फ सोनू 2—प्रिन्स सागर 3—विकास उर्फ विनय कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी के 11 दो पहिया वाहन बरामद हुये।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा विभिन्न जनपदों से वाहन चोरी कर बेचना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना कोतवाली चन्दौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आकाश कुमार उर्फ सोनू नि0 हथेड़ा थाना हलिया मीरजापुर।
2—प्रिन्स सागर निवासी हिनौता थाना व जनपद चन्दौली।
3—विकास उर्फ विनय कुमार निवासी नवही थाना व जनपद चन्दौली।

बरामदगी

1— कब्जे/निशादेही पर चोरी के 11 दो पहिया वाहन।

जनपद महराजगंज/थाना सोनौली

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **10 करोड़ 65 लाख रू0 कीमत की 25 किलो 150 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनांक 30.09.2020 की रात्रि थाना सोनौली व एसएसबी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर श्यामकाट पुलिया के पास से मादक पदार्थ तस्कर संजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 10 करोड़ 65 लाख रू0 कीमत की 25 किलो 150 ग्राम अवैध चरस बरामद हुयी।

इस संबंध में थाना सोनौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—संजीत कुमार नि0 परशुरामपुर थाना सोनौली महराजगंज।

बरामदगी

1—10 करोड़ 65 लाख रू0 कीमत की 25 किलो 150 ग्राम अवैध चरस।

————